बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/एल– 80/2025–/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० संगीता राय, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय के द्वारा दिनांक–08.01.2025 से 09.02.2025 तक कुल–33 (तैतीस) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–188(25), दिनांक–04.09.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० संगीता राय को 697 (छः सौ संतानवे) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/एल–80/2025– 199(2) पटना, दिनांक 2/2/ 2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय/अधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/डा० संगीता राय, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव